Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ चित्तोडगढ में शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) की शाखा प्रबन्धक संदीपा वोहरा को 10,000/–रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 30 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपिया **संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ़** (D.C.B.O.) को परिवादी से **10,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ए.सी.बी. चौकी, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर सूत्र सूचना मिली कि हिन्दुस्तान जिंक चन्देरिया में कार्यरत एल एण्ड टी कम्पनी का कर्मचारी अगस्त 2025 में ड्यूटी के दौरान अचानक लकवाग्रस्त हो गया था, उक्त कर्मचारी के मेडिकल बिलों का भुगतान करने व मेडिकल लीव (छुट्टियों) के पैसे पास करने के एवज में शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) की शाखा प्रबन्धक संदीपा वोहरा द्वारा परिवादी के रिश्तेदार व एल एण्ड टी कम्पनी के एच.आर. मैनेजर से रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। पूर्व में भी एल एण्ड टी कम्पनी के एच. आर. मैनेजर, पीडित (परिवादी) व पीडितों के परिजनों पर दबाव बनाकर कर्मचारियों के अलग–अलग कैस के क्लेम पास करने के एवज में शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा द्वारा 40,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई है।

जिस पर ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में ए.सी.बी. स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मण डांगी** द्वारा दिनांक 29.05.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपिया संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक द्वारा परिवादी के मेडिकल बिलों का भुगतान करने व मेडिकल लीव (छुट्टियों) के पैसे पास करने के एवज में 10,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर आज दिनांक 30.05. 2026 को श्री लक्ष्मण डांगी, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/– रूपये अपने कार्यालय कक्ष में ग्रहण किये गये जिस पर आरोपिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर रिश्वत राशि बरामद की गई है।

आरोपिया से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा